

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 387 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 2 अगस्त, 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-हरिद्वार (एस0एच0-49) मार्ग के किनारे बाँधी/बाँधी पटरी पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु- जनपद मुरादाबाद में कि0मी0 30.900 से 36.00 तक 5.10 कि0मी0 लम्बाई में 0.153 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग एवं जनपद बिजनौर में कि0मी0 36.00 से 62.600 ,महाराणा प्रताप चौक से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी 200मी0) कुल 26.800 कि0मी0 लम्बाई में 0.804 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग इस प्रकार दोनो जनपदों में कुल 31.900 कि0मी0 लम्बाई में कुल 0.957 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद की पत्र संख्या-08/14-1, दिनांक 01-07-2017. एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर की पत्र संख्या-108/14-1, दिनांक 11-07-2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-हरिद्वार (एस0एच0-49) मार्ग के किनारे बाँधी/बाँधी पटरी पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु- जनपद मुरादाबाद में कि0मी0 30.900 से 36.00 तक 5.10 कि0मी0 लम्बाई में 0.153 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग एवं जनपद बिजनौर में कि0मी0 36.00 से 62.600 ,महाराणा प्रताप चौक से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी 200मी0) कुल 26.800 कि0मी0 लम्बाई में 0.804 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग इस प्रकार दोनो जनपदों में कुल 31.900 कि0मी0 लम्बाई में कुल 0.957 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर एक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद एवं बिजनौर द्वारा विषयक क्रम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक - 3 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
✓ मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-

/ 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :-

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद एवं बिजनौर को उनके उक्त उल्लिखित सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,
(हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी — हों।
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित —
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष —
सिफारिशें। —प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, मुरादाबाद एवं
बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त
करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 02/8/2017

स्थान : mbd.

(आर० पी० वजीर)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
नाम व पदनाम मा०वा० मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश
सरकारी मोहर मुरादाबाद